197

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्षः— श्री एस0 एस0 अली
सदस्य

प्रकरण क्रमांक निगरानी 1864—दो/2016 के विरूद्ध पारित आदेश दिनांक 13—05—2016 के द्वारा न्यायालय अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा के प्रकरण कमांक 564/अपील/2015—16.

.....

भगवती सिंह तनय हरमंगल सिंह
निवासी ग्राम माजन तहसील जवा
जिला रीवा म0प्र0

---- आवेदक

विरूद्ध

1— बलराम सिंह तनय स्व0 देवीदीन सिंह
2— नागेन्द्र सिंह तनय स्व0 देवीदीन सिंह
3—रत्नाकर सिंह तनय स्व0 देवीदीन सिंह
4—गुरूरतन सिंह तनय स्व0 देवीदीन सिंह
5—तारा सिंह पत्नी स्व0 संतोष सिंह
निवासी ग्राम माजन तहसील जवा
जिला रीवा म0 प्र0

---- अनावेदकगण

.....

श्री आर0 एस0 सेंगर, अभिभाषक, आवेदक
श्री मुकेश भार्गव, अभिभाषक, अनावेदकगण

.....

आदेश

(आज दिनांक 31/10/17 को पारित)

आवेदकगण द्वारा यह निगरानी न्यायालय अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा द्वारा पारित आदेश दिनांक 13—5—2016 के विरूद्ध मध्यप्रदेश भू—राजस्व संहिता 1959 (संक्षेप में आगे जिसे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि आवेदक भगवती सिंह निवासी ग्राम माजन तहसील जवा ने ग्राम खम्हरिया की नामांतरण पंजी कमांक 2, 3 में प्रमाणित बटवारा नामांतरण आदेश दिनांक 30.6.85 के विरूद्व अनुविभागीय अधिकारी त्योंथर जिला रीवा के न्यायालय में अपील प्रस्तुत की गई जो उनके द्वारा दिनांक 3.2.16 को अपील स्वीकार की गई इससे दुखित होकर अपर आयुक्त रीवा के न्यायालय में अनावेदकगण द्वारा अपील प्रस्तुत की गई। अपर आयुक्त द्वारा दिनांक 13.5.16 को अपील स्वीकार की गई इसी से दुखित होकर यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3–आवेदक अधिवक्ता द्वारा अपनी लेखी बहस प्रस्तुत कर तर्क किया गया है कि आवेदक के स्वत्व व आधिपत्य की भूमि ग्राम माजन तह जवा की भूमि आराजी कमांक 13, 17, 18,21, 22/1, 22/2, 23/1, 23/2, 24, 33, 34, 35, 37, 38, 40, 41, 42, 46, 51, 52, 53, 55, 56, 57, 58, 60, 62, 63, 66, 71, 72, 74, 75, 56, 36, 109, 110, व आराजी कमांक 115 कुल किता 38 कुल रकबा 40.4 एकड़ भूमि का 1/2 हिस्सा के भूमि स्वामी आवेदक के पिता स्व0 हरमंगल सिंह व उनके सगे भाई यानी आवेदक के चाचा स्व0 सूरज सिंह थे, सूरज सिंह की कोई पुत्र संतान नहीं थी तथा 1/2 हिस्सा के भूमिस्वामी अनावेदक कमांक 1 से 4 के पिता व अनावेदक कमांक 5 के ससुर देवीदीन सिंह थे। आवेदक के पिता एवं अनावेदकगण के पिता के मध्य अर्सा कई वर्ष पूर्व हिस्सा बांट हो चुका था। हिस्सा बांट में प्राप्त भूमियों में आवेदक के पिता व अनावेदकगण के पिता अलग अलग कृषि कार्य करवाते रहे हैं, किन्तु उक्त भूमियों का मुस्तरका पटटा राजस्व अभिलेखों में दर्ज रहता आया । तर्क में यह भी कहा है कि आवेदक के पिता स्व0 हरमंगल सिंह के स्वत्व व आधिपत्य की भूमि आराजी कमांक 4, 7, 8, 14, 15, 19, 20, 30, 16, 32, 43, 61, 108 व आराजी कमांक 111 कुल किता 14 कुल रकबा 16.12 एकड भूमि ग्राम माजन तहसील जवा जिला रीवा में स्थित है। जिसमें आवेदक के पिता हरमंगल सिंह अपने जीवनकाल तक बतौर भूमिस्वामी काबिज दखिल थे, क्यों कि उनके भाई सूरज सिंह की मृत्यु हो चुकी थी उनकी पत्नी फूलकुमारी थी जिसने अपने जीवन काल में ही आवेदक की पत्नी श्रीमती शांती देवी के नाम अपनी संपूर्ण चल व अचल संपत्ति की वसीयत करा दी थी श्रीमती फूल कुमारी की मृत्यु के पश्चात उनके

हक व हिस्से की चल व अचल संपत्ति का वसीयत के आधार पर नामांतरण करा कर श्रीमती शांती देवी बतौर स्वत्वाधिकारी काबिज दाखिल होकर कास्त करती चली आ रही हैं जिसमें उभयपक्ष या किसी अन्य को कोई आपत्ति व हस्ताक्षेप नहीं है। आवेदक के पिता हरमंगल सिंह की मृत्यु के पश्चात आवेदक के पक्ष में विधिवत वारिसानों नामांतरण, नामांतरण पंजी कमांक 2 आदेश दिनांक 19.8.75 को बतौर वारिस किया गया था। जिसमें आवेदक भूमिस्वामी काबिज दखिल होकर कृषि कास्त करता चला आ रहा है। तर्क में यह भी लेख है कि देवीदीन सिंह ने आवेदक को कभी कोई सूचना व जानकारी दिये बगैर राजस्व कर्मचारियों से सांठगांठ कर फर्जी बंटवारा पुल्ली के आधार पर निगरानीकर्ता के हक हिस्से व उसके स्वत्व अधिपत्य की संपूर्ण भूमियों को हडपने के आाशय से राजस्व अभिलेख के साथ संलग्न पुल्ली में कांट छांट कर गलत कार्यवाही कर व अवैध फर्जी तरीके से कूट रचना कर जरिये ग्राम माजन की नामांतरण पंजी कमांक 2, 3 आदेश दिनांक 30.6.1985 को प्राप्त होने पर आवेदक कलेक्टर जिला रीवा के समक्ष शिकायत भी की थी जिसकी जांच किये जाने का आदेश अनुविभागीय अधिकारी तहसील त्योंथर को सौंपा गया था। अपनी लेखी बहस में यह भी लेख किया गया है कि राजस्व निरीक्षक मंडल डभोरा तहसील त्योंथर द्वारा प्रश्नाधीन भूमियों के संबंध में दिनांक 19.8.75 को विधिवत वारिसाना नामांतरण, नामांतरण पंजी कमांक 2 आदेश 19.8.75 को पारित किया था, जिसके विरूद्व किसी पक्षकार द्वारा उक्त आदेश के विरूद्व अपील/निगरानी प्रस्तुत नहीं की गई है। इस प्रकार आदेश दिनांक 19.8.75 अंतिम आदेश था जिसे भी अनदेखी किया गया है। अंत में उनके द्वारा अनुरोध किया गया है कि अपर आयुक्त का आदेश दिनांक 13.5.16 निरस्त कर आवेदक की निगरानी स्वीकार करने का अनुरोध किया गया है।

4–अनावेदकगण के अधिवक्ता द्वारा लिखित बहस प्रस्तुत कर सिजरा खानदान से दर्शित कर लेख किया गया है कि उपरोक्त बंशावली में अनावेदकगण के पूर्वज जगतपाल सिंह थे जिनके नाम ही पूर्व में संपूर्ण भूमियां राजस्व अभिलेख में दर्ज चली आ रही थीं, आवेदक भगवती सिंह या उनके पिता हरमंगल सिंह अथवा उनके बाबा अतिबल के नाम विवादित भूमियां कभी भी राजस्व अभिलेख में दर्ज नहीं थी। अनावेदकगण के पिता देवीदीन सिंह व भगवती सिंह के

मध्य जो बटनवारा पुल्ली तैयार की गई थी उसमें भगवती सिंह ने स्वेच्छा से अपने हस्ताक्षर किये थे बटनवारा पुल्ली पर गवाहों के हस्ताक्षर है बटनवारा पुल्ली के अनुसार ही नामांतरण पंजी कमांक 2, 3 के द्वारा दिनांक 30.6.85 को मौके पर ही कैम्प में कार्यवाही की जाकर उभयपक्ष की उपस्थिति में आदेश पारित किया गया था। ऐसी स्थिति में ओश दिनांक 30.6.85 में किसी तरह की कोई अवैधानिकता ही नहीं थी। उनके द्वारा आगे कहा गया है कि नामांतरण पंजी कमांक 2 में पारित आदेश तथा नामांतरण पंजी कमांक 3 में पारित आदेश दिनांक 30.6.85 के विरूद्व आवेदक को अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रथक प्रथक अपील प्रस्तुत की जाना चाहिये थी, किन्तु आवेदक ने ऐसा न कर एक ही अपील पेश की थी आदेश दिनांक 30.6.85 के विरूद्व लगभग 30 वर्ष पश्चात आवेदक भगवती सिंह ने अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष अवधि बाह्य अपील प्रस्तुत की थी अपील के साथ प्रस्तुत धारा 5 म्याद अधिनियम आवेदन में ऐसा कोई आधार वर्णित नहीं किया था जिसके आधार पर म्याद में छूट पाने की पात्रता आवेदक रखता हो। वैसे भी नामांतरण पंजी तथा बटनवारा पुल्ली पर आवेदक भगवती सिंह के हस्ताक्षर हैं ऐसी स्थिति में अनुविभागीय अधिकारी को चाहिये था कि वह धारा–5 म्याद अधिनियम के आवेदन का विस्तृत रूप से विवेचना करते बोलता हुआ आदेश पारित करते हुये म्याद के बिन्दु पर ही अपील निरस्त की जाना चाहिये थी। किन्तु उनके द्वारा अवधि बाह्य अपील को गुण दोष पर निराकृत करते हुये अपील स्वीकार करने में भूल की थी जिसे अधीनस्थ न्यायालय अपर आयुक्त ने निरस्त कर वैध आदेश पारित किया है वह स्थिर रखे जाने योग्य है। अनावेदकगण के पूर्वज जगतपाल सिंह थे जिनके नाम ही पूर्व में संपूर्ण भूमियां राजस्व अभिलेख में दर्ज चली आ रहीं थी। बटनवारे में अनावेदक के पिता देवीदीन सिंह के नाम व आवेदक भगवती सिंह के नाम दर्ज सभी भूमियां शामिल की गई थी भगवती सिंह के द्वारा देवीदीन सिंह के जीवनकाल में बटनवारा पुल्ली व नामांतरण के बारे में कभी कोई आपत्ति नहीं की गई। जिससे भी स्पष्ट है कि भगवती सिंह बटनवारा पुल्ली से पूरी तहर से सहमत थे इन सभी बिन्दुओं पर अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश में कोई विचार ही नहीं किया था। उक्त सभी बिन्दुओं पर अधीनस्थ न्यायालय अपर आयुक्त ने विचार कर वैद्य आदेश पारित किया है जो स्थिर रखे जाने योग्य है। लेख

बहस में यह भी तर्क है कि अनुविभागीय अधिकारी का यह मत पूरी तहर से त्रुटिपूर्ण है कि खसरा नंम्बर व रकवा में सुधार किया गया है या ओवर राइटिंग की गई है । उभयपक्ष के मध्य हुये बटनवारा के आधार पर नामांतरण प्रमाणित करने में कोई अवैधानिक नहीं थी। यह तथ्य भी गलत है कि कोई बटनवारा पुल्ली नहीं बनाई गई थी, चूंकि भगवती सिंह की बटनवारा पुल्ली और नामांतरण पंजी में हस्ताक्षर है एसी स्थिति में यह कहना गलत है कि इश्तहार प्रकाशन नहीं किया गया था और आपत्तियां आमंत्रित नहीं की गई थी इस प्रकार अनुविभागीय अधिकारी ने जिन तथ्यों का लेख कर अभी आदेश पारित किया था उक्त तथ्य अभिलेख के विपरीत होने से उनके द्वारा पारित आदेश त्रुटिपूर्ण था जिसे अधीनस्थ न्यायालय ने निरस्त कर वैध आदेश पारित किया है जो स्थिर रखे जाने योग्य है। अंत में उनके द्वारा निवेदन किया गया है कि अपर आयुक्त का आदेश दिनांक 13.5.16 उचित होने से स्थिर रखा जावे तथा आवेदक द्वारा प्रस्तुत निगरानी निरस्त करने का अनुरोध किया गया है।

5–उभय पक्ष के अधिवक्तागण के तर्क सुने तथा उनके द्वारा प्रस्तुत लेखी बहसों का अध्ययन किया गया। प्रकरण में संलग्न अभिलेखों का अवलोकन एवं वारीकी से मनन किया गया। आवेदक भगवती सिंह के द्वारा नामांतरण पंजी कमांक 2, 3 में प्रमाणित बटवारा नामंतरण आदेश दिनांक 30.6.85 के विरूद्व अनुविभागीय अधिकारी के न्यायालय में अपील प्रस्तुत की थी जो उनके द्वारा नामांतरण पंजी कमांक 2, 3 में पारित आदेश दिनांक 30.6.85 निरस्त कर अपील स्वीकार की गई थी। प्रकरण में विवेचना से पाया गया है कि उभयपक्षों की पैत्रिक भूमि है। सिजरा खानदान के अनुसार अपींलट के पूर्वज जगतपाल सिंह थे जिनके नाम से संपूर्ण भूमियां खसरे में अंकित थीं। आवेदक भगवती सिंह या उनके पिता हरमंगल सिंह अथवा उनके बाबा अतिबल सिंह के नाम वादग्रस्त भूमियां दर्ज नहीं थी। वादग्रस्त भूमि का बटवारा अनावेदकगण के पिता देवीदीन सिंह व भगवती सिंह के मध्य हुआ था जिसकी बटवारा पुल्ली तैयार की गई थी, बटवारा पुल्ली पर अनावेदकगण के पिता बलराम सिंह व आवेदक भगवती सिंह के हस्ताक्षर बने हैं । पुल्ली में गवाहों के भी हस्ताक्षर बने हैं तदनुसार बटवारा पुल्ली के अनुसार नामांतरण पंजी कमांक 2 व 3 में दिनांक 30.6.85 को नामांतरण का आदेश पारित किया गया था। नामांतरण की कार्यवाही कैम्प में उभयपक्ष की उपस्थिति में की गई थी। जिन

व्यक्तियों के मध्य बटवारा हुआ था भगवती सिंह ने देवीदीन के जीवनकाल में बटवारा पुल्ली व नामांतरण के संबंध में कभी किसी प्रकार की आपत्ति नहीं की गई थी। इससे स्पष्ट होता है कि भगवती सिंह पुल्ली बटवारे से सहमत थे। आवेदक भगवती सिंह के नामांतरण पंजी में एवं बटवारा पुल्ली पर हस्ताक्षर बने हुये है, इससे नामांतरण पंजी में आदेश दिनांक 30.6.85 को सहमति से पारित बटवारा नामांतरण का आदेश 30 वर्ष बाद निरस्त करने में अनुविभागीय अधिकारी द्वारा त्रुटि की गई है। बटवारा पुल्ली एवं नामांतरण पर 30 वर्ष तक अपील करने का जो कारण बताया गया है वह समाधान कारक नहीं है। 30 वर्ष पश्चात पारित आदेश के विरूद्व अपील न करना यह प्रमाणित करता है कि आवेदक व अनावेदक बटवारा नामांतरण से संतुष्ट थे। जहां तक हक का प्रश्न है तो उसके निराकरण की अधिकारता सिविल न्यायालय को है। तीस वर्ष पूर्व हुये नांमांतरण को तीस वर्ष बाद निरस्त किया जाना न्यायाचित एवं विधि प्रावधानों से परे है। अपर आयुक्त द्वारा अनुविभागीय अधिकारी त्यौंथर का आदेश 3.2.16 निरस्त करने में कोई त्रुटि नहीं की है।

6– उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा के प्रकरण कमांक 546/अपील/2015–16 में पारित आदेश दिनांक 15.05.2016 उचित होने से स्थिर रखा जाता है। परिणामस्वरूप आवेदक द्वारा प्रस्तुत निगरानी बलहीन एवं महत्वहीन होने से निरस्त की जाती है।

(एस0 एस0 अली)
सदस्य
राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश
ग्वालियर